संख्या-4324/नौ-5-2016-45बजट/2015

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
आजमगढ़।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 17 मार्च, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'नगरीय जल निकासी योजना' के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-148/न0पा0प0आ0/2016-17 दिनांक 17 दिसम्बर, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगरीय जल निकासी योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-242/2015/4024/नौ-5-15-45बजट/2015 दिनांक 10.07.2015 द्वारा रू0 28.30 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि रू0 15.00 लाख की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने हेतु किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त उपयोगिता अवधि दिनांक 31 मार्च, 2017 तक इस शर्त के अधीन बढ़ायी जाती है कि सम्बन्धित नागर निकाय द्वारा इस अवधि में प्रत्येक दशा में स्वीकृत कार्य पूर्ण कराकर धनराशि का उपभोग सुनिश्चित करते हुए प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद, शासन तथा निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा ।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-4324(1)/नौ-5-2016-45बजट/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, आजमगढ़।
3. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
4. कोषाधिकारी, आजमगढ़।
5. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल बेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।